



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-12/2016- 623 दिनांक : 03.07.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु कुल **रु0 10.704 लाख (दस लाख सत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

इस कार्यालय का उप-आवंटन पत्रांक-533 दिनांक-18.06.2019 एवं आपका कार्यालय पत्रांक-307 दिनांक-02.07.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 10.704 लाख (दस लाख सत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	8.619
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	2.085
कुल :-		10.704

इस कार्यालय के उप-आवंटन पत्रांक-533 दिनांक-18.06.2019 में विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा के स्थान पर राजकीय व्यापार प्रमंडल, चाईबासा को ऑन लाईन उप-आवंटन हो गया है, जिसे सुधारकार विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा को ऑन-लाईन उप-आवंटन कर दिया गया है तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-1** पर द्रष्टव्य है ।

पूर्व उप-आवंटित का सभी शीर्ष/शर्त/कार्यदर प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत  
उप-आवंटन के अनुरूप रहेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-12/2016- 623 दिनांक- 03.07.2019  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम,  
झारखण्ड, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-12/2016- 623 दिनांक- 03.07.2019  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-12/2016/623

दिनांक - 03-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	39184	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	861,900.00 रुपये आठ लाख इकसठ हजार नौ सौ
2	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	39185	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	208,500.00 रुपये दो लाख आठ हजार पाँच सौ
योग:				1,070,400.00

क्रमिक योग:

रुपये दस लाख सत्तर हजार चार सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI